संख्या-16/2022/225/38-4-22-123(विविध)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2022**

विषयः-प्रदेश के दिव्यांगजन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में सम्मिलित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः-जी0ओ0-120/वि0का0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2022, दिनांक 25.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांगजन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2 "योजनान्तर्गत पात्रता" के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी के उपप्रस्तर-3.4 में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2019, शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध) /2017 टी0सी0-1, दिनांक 18.03.2021, शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-2021-123(विविध)/ 2017 टी0सी0-1, दिनांक 25.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/ 2017, दिनांक 27.12.2021 द्वारा कतिपय वर्ग/समुदाय/जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है।

3- उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018 द्वारा निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-3.4 में निम्नलिखित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे दिव्यांग परिवार, जो आवासविहीन/कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे हैं। दिव्यांगजनों की श्रेणियां वही होंगी, जैसाकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट/परिभाषित हैं तथा दिव्यांगता की पात्रता वही होगी, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 (द) में उल्लिखित है।"

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-16/2022/225/38-4-2022, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(6) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(11) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(12) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(13) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(14) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
(15) समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
(16) गार्ड फाइल।

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।